आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 569/2023 **(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)**

कैनफिन होम्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय– एस–14 से एस–21, द्वितीय तल, गीजगढ़ टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाईन्स, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

स्व. श्री सत्यप्रकाश शर्मा एवं स्व. श्री अंजू शर्मा जरिये विधिक वारिसान

1. श्री अर्पित शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्यप्रकाश शर्मा(विधिक वारिस),
2. श्री हर्षित शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्यप्रकाश शर्मा(विधिक वारिस),
   पताः– प्लॉट नं. 90–ए, एवं प्लॉट नं. 91–ए, सूरज नगर, आम्रपाली मार्ग, क्वीन्स रोड़, करणी पैलेस रोड़, जयपुर।
3. श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद नारायण,
   पताः– प्लॉट नं. 5, पवनपुत्र जी कॉलोनी, पांच्यावाला, जयपुर।
4. श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री गोविन्द नारायण शर्मा,
   पताः– प्लॉट नं. 63–सी, गिरधारीपुर, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 11.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 13.04.2016 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. स्व. श्रीमती अंजू शर्मा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 90–ए, सूरज नगर, आम्रपाली मार्ग, क्वीन्स रोड़, करणी पैलेस रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज एवं 2.स्व. श्री सत्यप्रकाश शर्मा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 91–ए, सूरज नगर, आम्रपाली मार्ग, क्वीन्स रोड़, करणी पैलेस रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100.33 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 25,00,000/– रूपये एवं राशि 05,00,000/– रूपये, कुल राशि 30,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 27,24,521/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. स्व. श्रीमती अंजू शर्मा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 90–ए, सूरज नगर, आम्रपाली मार्ग, क्वीन्स रोड़, करणी पैलेस रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100 वर्गगज एवं 2.स्व. श्री सत्यप्रकाश शर्मा जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 91–ए, सूरज नगर, आम्रपाली मार्ग, क्वीन्स रोड़, करणी पैलेस रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 100.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर